


असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II-सण्ड 3--उप-सण्ड (i) PART II-Section 3- Sub-section 'i)



प्राधिकरण से प्रकाशित PUBLISHFD BY AUTHORITY

सं० 63] नई विल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1988/माघ 19, 1909 No. 63] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1988/MAGHA 19, 1909 इस भाग में भिन्न पृष्ठ रूख्या वी जाली है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation	
विस मंद्रालय	वादी गणराज्य की सरकार के वीत्र इससे सलग्न ग्रभिसमय
	14 नवम्बर, 1987 को उक्त ग्रभिसमय के अनुच्छेद 31 के
(राजम्ब विभाग)	पैरा 1 की अपेक्षानुसार योना सविवाकारी राज्या ढारा अनु-
विदेशी कर प्रभाग	समर्थन की लिखन का श्रादान प्रदान किए जाने पर, प्रवृ ग
नई दिल्सी, 8 फरवरी, 1988	हुआ है ।
ग्रम्रिसूचना न 7754	श्रन, ग्रब केन्द्रीय सरकार, ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1961
भ्राय-कर	(1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ)
	न्नतिकर श्रधिनियम 1964 (1964 का 7) की धारा 24क
सा.का नि 80(भ्र)—प्राय पर कर की	बाबत 🛛 द्वारा प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुए, यह निदेश देनी
वोहरे कराधान में बचने और राजविसीय अपवंचन को	
के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूमानियाँ	

321 GI/88 ---- 1

(1)

[PART II-SEC. 3(i)]

उपाबंध

श्राय पर करा के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राप्रस्व भ्रपवंचन को रोकने के लिए भारलीय गणराज्य की मरकार

और

रूमानिया समाजवादी गणराज्य की सरकार

के बीच ग्रभिसमय

भारतीय गणराज्य की सरकार और रूमानिया समाजवादी गणराज्य की सरकार ग्राय पर करो के संबंध मे दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के श्रपवंचन को रोकने के लिए और ग्रधिकारों की समानता और पारस्परिक लाभ के माधार पर दोनो देशों के बीच भायिक संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने के लिए एक ग्रभिसमय करने की इच्छा मे,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हई हैं ----

ग्रनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिममय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो एक भ्रथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी है।

ग्रन्च्छेद 2

- 1 यह ग्रभिसमय जिन करो पर लागू होगा वे है.---
- (क) भारत के मामले में
 - (1) ग्रायकर और उस पर कोई भी ग्रधिभार; और
 - (2) ग्रीतिकर; (जिन्हें इसके बाद ''भारतीय कर'' कहा गया है) ।
- (ख) रूमानिया के मानले मे :
 - (1) व्यख्टियां और निगमित निकायों द्वारा प्राप्त की जाने वाली ग्राय पर कर:
 - (2) रूमानिया के कुछ आधिक संगठनों और कुछ विदेशी सहभागियों की सहभागिता से गठित संयुक्त कम्पनियों के लाभों पर कर, और
 - (3) क्रुषि--कार्यकलापो से प्राप्त ग्राय पर कर, (जिन्हे इसके बाद "रूमानिया का कर" कद्वा गया है) ।

2. यह प्रभिसमय किसी भी समरूप श्रथवा सारतः इसी प्रकार के उन करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान म्रभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् दोनों सविदाकारी राज्यों द्वारा पैराग्राफ 1 में उल्लिखित ^र करों के म्रतिरिक्त ग्रथवा उनके स्थान पर लगाए गए हों।

3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी भ्रापने-स्रापने कराधान कानूनों में, जो इस अभिसमय के विषय है, किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे और संगत ग्राधिनियमों और विनियमों की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे ।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएँ

 इम अभिममय में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा प्रपेक्षित नही हो :

- (क) "भारत" शब्द में प्रभिन्नेत है भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें गामिल है राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का झाकाशी क्षेत्र तथा कोई भी झन्य सामुद्रिक क्षेत्र, जिस पर भारतीय कानून के ध्रनुसार और ध्रन्तरराष्ट्रीय कानून के श्रनुसार भारत के सार्वभौम प्रधिकार, ग्रन्य ग्रधिकार और क्षेत्राधिकार हों;
- (ख) भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त "रूमानिया" शब्द का अभिप्राय रूमानिया ममाजवादी गणराज्य का राज्य-क्षेत्र है, जिसमे रुमानिया का राज्यक्षेत्रीय समुद्र और महाद्विपीय मग्नतट और रुमानिया के राज्य-क्षेत्रीय मागर-खण्ड से ग्रागे कोई ऐंसा ग्रन्य क्षेत्र श्रोत्रीय मागर-खण्ड से ग्रागे कोई ऐंसा ग्रन्य क्षेत्र शामिल है जहां रुमानिया समुद्र, जल, समुद्र-तल तथा इन सागर-खण्डो मे विद्यमान प्राक्ततिक, जैविक और खनिज संसाधना की खोज और उपयोग से संबंधित ग्रन्तरराष्ट्रीय कानून और ग्रप्योग से संबंधित ग्रन्तरराष्ट्रीय कानून और ग्रपयोग से मंबंधित ग्रन्तरराष्ट्रीय कानून और ग्रपयोग करता हो;
- (ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" णब्दों से, सन्दर्भ की ग्रपेक्षा के ग्रनुसार, भारत अथवा भ्मानिया ग्रभिप्रेत है,
- (घ) "कर" शब्द से, सन्दर्भ की अपेक्षानुसार, भारतीय कर अथवा रुमानिया का कर अभिप्रेत है परन्तु इसमे ऐसी कोई रागि शामिल नही होगी जो उन करो के संबंध मे ऐसी चूक अथवा भूल के सबंध में देय हो, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थवण्ड के रूप में हो,
- (ड) ''व्यक्ति'' शब्द का प्रर्थं वह होगा जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रचलित कराधान कानूनों में उसका श्रर्थ है;

- (च) "कम्यनी" ग्रब्द से ग्रमिप्रेन है कोई सिगमित निकाय, जिसमें वह संयुक्त कम्पनी शामिल है, जो रूमानिया के कानून के प्रन्तर्गत अर्न्तानगमित की गयी हो प्रथवा कोई ऐसी सत्ता जिने संबं-धित संविदाकारी राज्यो के कराधान कानूनो के ग्रन्तर्गत कम्पनी के रूप मे माना जाता हो;
- (छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" णब्दो से ऋमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी ढारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी ढारा संचालिन कोई उद्यम ग्रभिग्रेत है ,
- (ज) "सक्षम प्राधिकारी" शब्दो से, भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) मे केन्द्रीय मरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि और रूमानिया के मामले में वित्त मंत्रालय अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि श्रभिप्रेत है,
- (झ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है:
 - —भारत के मामले मे, भारत की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई भी व्यण्टि और कोई ' भी ऐसा विधिक व्यक्ति, भागीदारी ग्रथवा संस्था, जो भारत में प्रचलित कानूनों से ग्रपनी यह हैसियत प्राप्त करते हो;
 - ----रूमानिया के मामले में, रूमानिया की नाग-रिकता धारण करने वाला कोई भी व्यष्टि और कोई भी ऐसा विधिक व्यक्ति, भागीदारी या संस्था जो रूमानिया में प्रचलित कानूनों मे ग्रेपनी यह हैसियत प्राप्त करते हो ;
- (ञ) ''कोई राजनीतिक उप-प्रभाग'' णब्द से भारत में कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अभिप्रेत है;
- (ट) ''प्रणासनिक राज्यक्षेत्रीय इकाई'' शब्द से रूमा-निया में प्रणासनिक राज्य-क्षेत्रीय इकाई ग्रभिप्रेत है,
- (ठ) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" शब्द में किसी ऐसे जलयान प्रथवा वायुयान ढारा परिवहन श्रभिप्रेत है, जो एक मंविदाकारी राज्य के किसी उद्यम ढारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान श्रथवा वायुयान दूसरे संविदाकारी राज्य के ही म्थानों के बीच चलाया जाता हो ।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस ग्रभिसमय को लागू करने में किसी भी पद का, जो इसमें परिभाषित नही हो, जब तक संदर्भ में ग्रन्यथा ग्रपेक्षित न हो. वही अर्थ होगा जो उस राज्य में प्रवृत्त उन करों से संबंधित कानूनों के श्रन्तर्गत होता है जो इस ग्रभि-मसय के विषय हैं।

শ্বন্ত্টৰ 4

आधिक अधिवास

 इस ग्रभिसमय के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" णब्दो में ग्रभिप्रेन हैं कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य के कराधान कानूनों के ग्रनुसार उस राज्य का निवासी हो ।

 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंध के कारण कोई व्यष्टि दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, वहां इस श्रभिसमय के प्रयोजनार्थ उसकी निवासीय हैसियत निम्नलिखित नियमों के श्रनुसार निर्धारित की जाएगी :---

- (क) वह उस सविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसका एक स्थायी निवास-गृह हो । यदि उसका दोनो संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्ति-गत और ग्राथिक सम्बन्ध धनिष्ठतर है (इसके बाद उसके ''महत्वपूर्ण हितो का केन्द्र'' के रूप मे उल्लिखित),
- (ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हिनो का केन्द्र है, निश्चय नही किया जा सकना हो, प्रथवा यदि उसका किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी निवास-गृह नही हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमे वह ग्रादतन रहना हो ;
- (ग) यदि वह ग्रादतन सामान्य दोनों की संविदाकारी राज्यों में रहता हो ग्रथवा उनमें से किसों भी राज्य में ग्रादतन नहीं रहता हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;
- (घ) यदि वह दोनों ही सविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है ग्रथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नही है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पार-स्परिक महमति में इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां व्यप्टि से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनो ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित हो ।

श्रन्च्छेद 5

स्थायी संस्थापन

। इस अभिममय के प्रयोजन के लिए, ''स्थायी संस्था-पन'' गब्दों से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहां से उद्यम का कारोबार पूर्णत अथवग अंशनः चलाया जाता है।

3

 "स्थायी संस्थापन" शब्दों में विक्रेषतया निम्मलिखित शामिल है :----

- (क) प्रबन्ध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखाः
- (ग) कोई कार्यालय,
- (घ) कोई कारखाना,
- (क) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, सेल ग्रथवा गैस-कूप, खदान श्रथवा कोई ग्रन्थ स्थान, जहा से प्राक्ततिक संसाधन निकाले जाते हों;
- (छ) दूसरो के लिए भण्डारण की सुविधाए प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति का कोई मालगोदाम;
- (ज) कोई फार्म, बागान व्यथवा व्यन्य स्थान, जहां क्रुपि बनोस्रोग, वागान व्रथवा संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों;
- (झ) कोई परिसर, जिसका प्रयोग विक्रय-स्थल या ग्रादेश प्राप्त करने प्रथवा मंगवाने के लिए किया जाता हो;
- (ज) कोई प्रतिष्ठान ग्रथवां सरचना, जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता हो;
- (ट) कोई भवन स्थल मथवा निर्माण, प्रतिष्ठापन ग्रयवा संयोजन-परियोजना ग्रथवा तस्संबंधी पर्य-वेक्षी कार्यकलाप, जहां ऐसा स्थल, परियोजना ग्रथवा पर्यवेक्षी कार्य-कलापों सहित, यदि कोई हो) छ. महीनों से ग्रधिक की मवधि के लिए चालू रहते हों, ग्रथवा जहां ऐसी परियोजना ग्रथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जो मगीनरी ग्रथवा उपकरण की विक्री के लिए प्रासंगिक होने के कारण, छ: माह से ग्रधिक ग्रवधि के लिए चालू नही रहते हो और परियोजना ग्रथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप के लिए देय प्रभार मग्रीनरी या उप-करण के विक्रय-मूल्य के 10 प्रतिगत से ग्रधिक हो ।

 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधो के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" शब्दों में निम्नलिखित को णामिल नही माना जाएगा —

- (क) उद्यम के माल प्रथवा तिजारती माल के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्णन के प्रयोजनार्थ सुविधाओ का प्रयोग;
- (ख) केवल भण्डारण ग्रमवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल ग्रथवा तिजारती माल का स्टाक रखना;

- (ग) ग्रन्थ उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए आने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल श्रथवा तिजारती माल का स्टाक रखना;
- (घ) उद्यम के लिए, माल प्रथवा तिजारती माल का केवल ऋष करने प्रथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निष्डित स्थान रखना;
- (ड.) उद्यम के लिए, प्रतन्य रूप से विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान, अथवा इसी प्रकार के प्रन्य कार्यकलापो के संबंध मे, जो प्रोरम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, कारोबार का कोई निण्चित स्थान रखना,
- (च) यदाकदा आयोजित किए जाने याले अस्थायी मेले या प्रदर्शनी में प्रदर्शित उद्यम के माल अथवा तिजारती माल को इस प्रकार के मेले अथवा प्रदर्शनी को समाप्त करने को प्रकिया में बेचना;
- (छ) मणीनरी अथवा उपस्कर के निश्रेता से भिल्न किसी उबाम द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना या पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जो मणीनरी अथवा उपकरण की बिक्री के लिए प्रासंगिक है और छः माह मे अधिक अवधि के लिए चालू नहीं रहते हैं।

तथापि, उप पैराग्राफ (क) से (छ) तक के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां उद्यम उक्त उप-पैराग्राफों में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं अस्य प्रयोजनीं के लिए दूसरे संविदा-कारी राज्य में व्यापार का कोई भी अन्य निर्धारित स्थान रखता हो।

4 पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहा किनी स्वतंत्र हैसियत के अभिकामि से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किभी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तो उस उद्यम का प्रथमोल्सिखित राज्य में उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि:

- (क) उसे, उस राज्य में उद्यम की ओर से संविदा सम्पम्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह प्रायः उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा तिजारनी वस्तुएं खरीदने तक ही सीमित नहीं हो ;
- (ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार म हो, परन्तु वह -प्रथमोल्लिखित राज्य में प्राप्तः माल अथवा तिजारसी लस्तुओं का स्टाफ एखता हो, जिसमे से वह उबम को ओर से माल अथवा विजारती वस्तुओ की मियमित रूप स डिसीवरी कारता हो; अथवा

4

(ग) वह प्रथमोल्लिखित राज्य में समग्रत श्रथवा लगभग समग्रत स्वय उस उद्यम के लिए ही अथवा उस उद्यम तथा अन्ध उद्यमों के लिए आदेश प्राप्त करता हो, जो उस उद्यम को नियन्त्रित करने हो अथवा उसमे नियत्रित होते हो अथवा उसी प्रकार के मामान्य नियवण में आते हो जिसमें कि वह उद्यम आता है।

5 एक सविदाकारी राज्य क किसी उद्यम का दूसरे सविदाकारी राज्य में मात इस कारण स्थायां संस्थापन होना मही माना जाएगा कि वह उम दूसरे राज्य में किसी दखाल, सामान्य कमीशन अभिकर्ता अथव। स्थतव हैसियत वाले किसी अत्य अभिकर्ता के माध्यम सं कारोबार करवा है बगर्त कि ऐस व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप में कर रहे हो। किन्तु, जब ऐसे एजेट के कार्यकलाप पूर्णन अथवा लगभग पूर्णत स्वय उस उद्यम की ही ओर से अथवा उम उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से फिए जाते हो जो उम उद्यम को नियद्रित करने ह उस उद्यम द्वारा नियत्रित होते है अथवा उसी प्रकार के मामान्य नियद्रण के अधीन हो जैसाकि उक्त उद्यम, तो उम उम स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अतर्गत एक स्वतन्न हैमियन का एजेट नहीं समझा जाएगा।

७ इस तथ्य स कि कोई कपनी, जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कपनी को नियत्नित करती है अथवा उससे नियत्रित होती है, जो दूसरे सविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे संघिदाकारी राज्य म (चाहे किसी स्वायी संस्थाान के माध्यम से अथवा अन्यया) कारोबार करती है, इन दोनो कम्पनियों में रो कोई भी अपने आप एक दूसरे का स्थायी संस्थापन नही बनगी।

अन्च्छेद ७

अचल संपत्ति में आय

1 अचल सम्पत्ति स आय पर क्वल उस सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा मकेंगा, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो।

2 अचल सपत्ति'' गब्दा का उस सविदाकारी राज्य के कानून और प्रथा के अनुसार परिभाषित किया जाएगा, जिसमे बहू सपत्ति स्थित है। इस गब्द में किसी भी हालत में ये गामिल होगे----अचल सम्पत्ति के उक्साधन क रूप में सपत्ति, कृषि, और बनोद्योग में प्रयुक्त पशुधन आर उपस्थर, ऐस अधिकार जिन पर भू-सपत्ति सबधी सामान्य कानून के उपबध लागू होत हो अचल सम्पत्ति का मोगने व अधिकार और खनिज भडार तेल कूपा, खदान और प्राक्ठतिक समाधनों को मिकालने के अन्य स्थानों क सचालन के लिए अथवा सचायन के अधिकार के प्रतिकन के रूप में परिधर्तनीय अथवा नियत अदायगियो के अधिकार। जलयान और थायुयान अचल सपत्ति नहीं माने जाएगे। 3 पैराग्राफ 1 के उपबंध अञ्चल सपस्ति के प्रस्यक्ष उपयोग, 'उस किराए पर दन अथवा किर्मा अन्य प्रकार क उपयोग से होन वाली आय पर भा लागू होगे।

.

4 पैराग्राफ । तथा 3 के उपवक्ष किसी उद्यम की अचल सपति से अजित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओ के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सपत्ति से अजित आय पर भी लाग होगे।

*স*নুच्छेद 7

कारबार में लाभ

। एक मॅकिंदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर क्वल उमी राज्य में कर लगाया जाएगा जव तक कि वह उद्यम द्मर सविदाकारी राज्य में रिंधत किसी स्थायी संस्थापन वे माध्यम में उनमें कारवार नहीं करता हो । यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारवार करता हो तो उद्यम के लामा पर दूसर राज्य में कर लगाया जा सकेगा, किस्तु केवल उतने अंग पर ही कर लगेगा जो (फ) उम स्थायी नंस्थापन, (ख) उस दूसर राज्य में उभी अथवा उनी प्रकार के माल अथवा तिजारती वस्तुओं की बिकी में प्राप्त हुआ माना जा सकता हो जैसी कि उम स्थायी मंस्थापन के माध्यम में बेची जाती हो, अथवा (ग) उम दूसरे राज्य में किए जा रहे वैसे ही अथवा उमी प्रकार के व्यापारिक कार्यकलापों से प्राप्त हुआ माना जा सकता हो जो उस स्थायी मंस्थापन के माध्यम से किए जाते हो ।

2 पैराग्राफ 3 के उपबधों के अधीन रहते हए, जहा एक सविदाकारी राज्य का कोई उद्यभ दूसरे सविदाकारी राज्य मे स्थित किमी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार करता हो, वहा प्रत्येक मविदाकारी राज्य में होने वाले साभ को उस स्थायी संस्थापन का ही लाभ समझा जाएगा जिसे वह उम स्थिति मेे प्राप्त करने की अपेक्षा करता जब वह उन्हां या वैसी ही परिस्थितियों में उन्ही या वैसे ही कार्यों मे लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उग्रम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णने स्वतन रूप से कारबार करता, जिसका वह म्थायी पस्थापन है। किसी भी स्थिति मे, जहा किसी स्थायी मस्थापन को प्राप्त हुआ समझा जा सकने योग्य लाभ निश्चित नही किया जा सकता हो अथवा उसे निश्चित करने में असाधारण कठिनाइया उन्पन्न होती हो, वहां स्थायी संस्थापन का प्राप्त हुए समझे जा सकन योग्य लाभा के अनू- , मान य्यायका जावार पर लगाया जा सफता है।

3 किसी स्थायी संस्थापन के लाभो के निर्धारण में उन व्यया को कटौतिया के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन के बारगार । पर्पोजना में थिए जाने हैं, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारो नथा मामारय प्रणास-निक व्यय की शामिल ह जो ा राज्य ने करावान कातूनो क उपत्रधा के अनुसार हो, फिर चाहे थे उस राज्य में किए गए हो, जहा स्थायो मस्यापन स्थित ह, अथवा अग्यता। किन्सु इस प्रकार की कोई कटौती उन रकमो, यदि कोई हो, के संबंध में स्वीकार नहीं की जाएगीं जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किमी को (यास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), रायल्टियों, फीसों अथवा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधि-कारों के उपयोग के बदले की गई अन्य इसी प्रकार की अदा-यगियों, अथवा की गई विधिष्ट सेवाओं अथवा प्रबन्ध के लिए कमीगन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में की गई हों, अथवा जो बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में अदा की गई हों। इसी प्रकार स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन रकमों को हिसाब में नहीं किया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को, रायल्टियों, फीसों अथवा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले की गई ऐंगी ही अन्य अदायगियों अथवा की गई विक्रिष्ट सेवाओं अथवा प्रबन्ध के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में अदा की गई हों अथवा जो बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके कार्यालयों में से किसी अन्य कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपुर्ति से भिन्न रूप में) प्रभारित की गई हों।

4. कोई लाभ मात्र इस कारण स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा तिजारनी वस्तुएं खरीदी जाती हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए स्थायी संस्थापन को हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक उसके लिए कोई ठीक तथा पर्याप्त प्रतिकुल कारण नहीं हो।

6. जहां आय में लाभों की वे मर्दे शामिल हों, जिन पर इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

ग्रनुच्छेद 8

विमान परिवहन

 एक सर्विदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी सॅयुक्त कारबार ग्रथवा किसी प्रन्तरराष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए मन्तरराष्ट्रीय यातायात में विंमान के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे विमान के परिचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध में अनुच्छेद 12 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। 4. "विमान परिचालन" शब्वों का ग्रर्थ होगा विमान के मालिकों या पट्टेवारों ग्रथवा ग्रवक्रेताओं (चार्टरर्म) द्वारा यात्रियों, डाक पशुधन या माल का विमान द्वारा परिवहन का कारबार जिसमें ग्रन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की विक्री, वायुयान का ग्राकस्मिक पट्टा और ऐसे परिवहन मे प्रत्यक्षतः संबंधित कोई भी ग्रन्य कार्यकलाप शामिल है।

मनुष्छेद 9

जहाअरानी

 एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से प्रजित लाभों पर केवल उसी राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

2. पैरा 1 के उपबंधों के होने हुए भी, यदि अन्तर-राष्ट्रीय यातायात में पोनों के संचालन से मंबंधित कियाकलाप उम दूसरे राज्य में किए जाने हों तो ऐसे लाभों पर उम दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जाएगा, लकिन इस प्रकार लगाया जाने वाला कर उम दूमरे राज्य में पोतों के संचालन के संबंध में संदेय सकल राशि के 2.50 प्रतिशत मे प्रधिक नही होगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी, पूल, संयुक्त कारबार श्रथवा पोत संचालन में लगी किसी अन्तरराप्ट्रीय पोत संचालन एअंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

4. इस ग्रनुच्छेब के प्रयोजनों के लिए, एक संविदाकारी राज्य में पोतों के संचालन के संबंध में संदेय सकन राणि का ग्रर्थ होगा निम्नलिखित राणियों का कुल योग, ग्रर्थात्:---

- (क) उस संविदाकारी राज्य में किसी बन्दरगाह म्रथवा बंदरगाह पर यात्रियों, पशुधन-डाक या माल को पोतों से लाने-ले-जाने के कारण संदेय सकल रागि;
- (खः) उस संविदाकारी राज्य में अन्तरराष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से संबंधित निधियों पर प्राप्त होने वाला ब्याज; और
- (ग) भ्रन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल या तिजारिती बस्तुओं के परिवहन के संबंध में कन्टेनर्स (जिसमें ट्रेलर और कन्टेनर्स के परिवहन के लिए उपस्कर भी शामिल हैं) के प्रयोग, रख-रखाव या माड़े के कारण उस राज्य मे संदेय सकल राशि।

म्रनुच्छेद 12 के उपबन्ध ऊपर (ख) में उल्लिखित ब्याज के संबंध में लागु नहीं होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की म्राय का दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधान के प्रयोजनों के लिए निर्धारण करने में, किसी भी ''पूर्ववर्ती वर्ष'' या ''कलैण्डर वर्षं'', जैसा भी मामला हो, के लिए उस उद्यम को किसी भी हानि या मूल्यहास छूट के संबंध में स्वीकार्य कोई भी कटौती नहीं दी जाएगी ।

म्रनुच्छेद 10

महयोगी उद्यम

जहां : ----

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण ग्रथवा पूजी में प्रत्यक्षत: ग्रथवा श्रप्रत्यक्षन: भाग लेता है; प्रथवा
- (ख्र) वे हीं व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण ग्रथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः ग्रथवा श्रप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

भौर दोनों में में किसी भी मामने में, दौनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय मंबंधों में ऐसी भर्ते रखी भयवा लगायी जाती हैं जो वैसी भर्तों से भिन्न हैं जैसीकि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, तो बहां ऐसा कोई साभ, जो इन शर्तों के न होने की हालान में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुग्रा होता, परन्तु, उन शर्तों के कारण, उस प्रकार प्राप्त नहीं हुग्रा तो वे लाभ उम उद्यम के लामों में सम्मिलिन किए जा सर्कोंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

श्रन्च्छेव 11

लाभांश

 एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को श्रदा किए गए लामांग उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशो पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश ग्रदा करने वासी कम्पनी निवासी है, परस्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांश का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

- (क) लाभांश की सकल रागि का 15 प्रतिगत यदि हितभागी स्वामी ऐसी कम्पनी है जो लाभांश ग्रदा करने वासी कम्पनी के गेयरों के कम मे कम 25 प्रतिगत की स्वामी है;
- (ख) ग्रन्थ मभी मामलों में लाभांश की सकल राशि का 20 प्रतिशत ।

इस पौराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराद्यान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभौशों का भुगतान किया जाता है। 3. इस ग्रनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" शब्द का ग्रभिप्राय, शेयरों ग्रथवा ऐसे ग्रन्थ प्रधिकारों से प्राप्त ग्राय । से है जो लाभ के भागीदार ऋण-दावे नहीं हों और ग्रन्य नियमित प्रधिकारों ने प्राप्त ग्राय से है जिस पर वही करा-धान व्ययस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के ग्रन्तर्गत शेयरों से प्राप्त ग्राय के मामलों में लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है । इस सन्दर्भ में, रूमानिया की संयुक्त कम्पनियों द्वारा पूजी ग्रभिदाताओं को वितरित किए जाने वाले लाभों को लाभांगों में मिला लिया जाता है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस म्यिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का नियासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम मे ब्यापार करता है जिसकी लाभांश प्रदा करने वाली कम्पनी निवासी है श्रथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न करता है, और जिस धारणाधिकार के संबंध में लाभांश श्रदा किए जाते हैं वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, ब्रनुच्छेद 7 ब्रथवा ग्रनुच्छेद 16, जैसी भी स्थिति हो, के उपबन्ध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरे राज्य कप्पनी द्वारा ग्रदा किए गए लाभांगों पर वहां एक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांग उस दूसरे राज्य के निवासी को ग्रदा किए जाते हों भयवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांगों की श्रदायगी की जाती है, वह उस राज्य में स्थित किसी स्यायी संस्थापन या नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, वहां उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के भवितरित लाभों पर श्रवितरित लाभसंबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे ग्रदा किए गए लाभांश श्रयवा श्रवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा श्रांगिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ श्रयवा श्राय के रूप में ही हों।

ग्रनुच्छेद 12

ब्याज

 एक संविदाकारी राज्य में उत्पन होने वाले सथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को मदा किए जाने वाले ध्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुमार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाए गए कर की रकम ब्याज की सकल रकम के 15' प्रतिशत में ग्राधिक नहीं होगी ।

3 पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के रहते हुए भी,---

- (क) एक संविवाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले अ्याज पर उस राज्य में कर से छूट होगी, बगतें कि वह निम्नलिखित ढारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से श्रपने स्वाभित्व में रखा जाता है:
 - (i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार. कोई राजनैतिक उप-मण्डल, कोई प्रणग्मनिक राज्यक्षेत्रीय एकक श्रथवा कोई स्पानीय प्राधिकरण ; ग्रथवा
 - (ii) दूमरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक:
- (ख) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले क्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्रार्थन होगी यदि इसका हितभागी सबमी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो निम्नलिखित द्वारा दिए गए या समर्थित ऋण या उधार के संबंध मे प्राप्त होता है
 - (i) रूमानिया समाजवादी गणराज्य के वैका रूमाना डी कोमर्स एक्सटेरिग्रर के मामले में उस सीमा तक जहां तक कि ऐसा ब्याज केवल निर्यात और ग्रायात की वित्त-व्यवस्था करने से प्राप्त हुग्रां माना जा सकता हो ;
 - (ii) भारत के मामले मे, भारतीय ग्रायात-निर्यात बैंक (एक्सिम बैंक) उस सीमा तक अहां तक कि ऐमा ब्याज केवल ग्रायात और निर्यात वित्त ब्यवस्था करने में प्राप्त हुग्रा माना जा सकता हो ;
 - (iii) संविदाकारी राज्य की कोई भी संस्था जो विदेश व्यापार में मार्वजनिक वित्त-क्यवस्था की प्रभारी संस्था हो
 - (iv) कोई भी म्रान्य व्यक्ति बणतें कि ऋण या उधार प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा स्वीकृत हो ।

4. इस ग्रनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से ग्रभि-प्रेत है, प्रत्येक प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय, चाहे वह बंधक ढांग प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उन्हे ऋण्वदाता के लाभों में भाग लेने का ग्रधिकार प्राप्त हो या नहीं, और विणेषकर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ग्राय और बन्ध-पत्नों या ऋण-पत्नों से प्राप्त ग्राय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियो, बन्धपत्नों या ऋण-पत्नों से प्राप्त ग्राय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियो, बन्धपत्नों या ऋण-पत्नों से प्राप्त ग्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हैं । विलम्ब से की गयी ग्रदायगी के लिए लगाया जाने वाला ग्रार्थदण्ड इस ग्रनुच्छेद के उद्देश्य के लिए ब्याज नहीं माना जाएगा । 5 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ध्याज का हिनभागी स्थामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने से, दूमरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ध्याज उत्पग्न होता हो, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से ध्यापार जलाना हो, जिसमें ग्रथवा उम दूमरे राज्य मे, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से, स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पन्न करता हो, और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज ग्रदा किया जाता है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो । इस प्रकार के मामले में, अनुच्छेद 7 ग्रथवा ग्रनुच्छेद 16 के उपबंध, जैमा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य मे उद्भूत हुआ माना आएगा जब ब्याज ग्रदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई प्रजासनिक राज्यक्षेत्रीय एकक, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । लेकिन, जहां ब्याज ग्रदा करने वाले ध्यक्ति का, चाहे वह सविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, संविदाकारी राज्य में एक ऐसा स्थायी संस्थापन या निष्चित स्थान है, जिसके संबंध में बह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की ग्रदायगी की गयी है, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान ढांग वहन किया जाता है, तब इस प्रकार का ब्याज उस सविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमे स्थायी संस्थापन ग्रथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7 जहा ब्याज ग्रदा करने वाले और हितभागी म्लामी के बीच ग्रथवा उन दोनों के और किसी ग्रन्थ व्यक्सि के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, ग्रदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण-धाये को ध्यान मे रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम ग्रदा की जाती है, उस रकम मे बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में, ग्रदा करने वाला और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस ग्रनुच्छेद के उपबन्ध ग्रन्तिम वणित रकम पर लागू होंगे। इस प्रकार के मामले में ग्रदा क़ी गयी रकम का ग्रतिरिक्त भाग, इस ग्रभिसमय के ग्रन्य उपबन्धों का समयक् घ्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कामनौ के अनुसार कर लगने योग्य टोगा।

अनुच्छेद 13

कमीशन

3 एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ग्रदा किए जाने वाले कमीणन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा मकेंगा।

2. तथापि, ऐसे कमीशन पर उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमे यह उद्भूत होता हो, परन्तु इस प्रकार लगाया गया कर कमीशन की रकम के 5 प्रतिशत से ग्रधिक नहीं होगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस परिसीमा को लागू करने के तरीके को परस्पर सहमति से तय करेंगे। 3. इस ग्रनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "कमीणन" णज्द का ग्रभिप्राय है : किसी आढ़तिए, किंसीं सामान्य कमीशन अभि-कर्ता ग्रथवा किसी भी ग्रन्य व्यक्ति को किया गया भुगतान, जो उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानून द्वारा इस प्रकार के आढतिए या ग्रभिकर्ता से सम्बद्ध हो जिसमे इस प्रकार का भुगतान उद्भूत होता हो ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध लागू नही होंगे यदि कमीणन प्राप्तकर्ता का, एक संविदाकारी राज्य का तिवासी होने से, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें कमीणन उद्भुत होता है, स्थायी संस्थापन है जिससे कमीशन उत्पन्न करने वाले कियाकलाप्त प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले से, प्रनुच्छेद 7 के उपबन्ध लागू होंगे ।

5. कमीणन एक संविदाकारी राज्य में उद्भुत हुआ तब समझा आएगा जब घ्रदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनैतिक उप-मण्डल, कोई प्रशामनिक राज्यक्षेत्रीय एकक, कोई स्थानीय प्राधिकरण या राज्य का कोई निवासी हो । नेकिन, अहां कमीशन ग्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या नही, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा स्थायी संस्थापन हो, जिसके संबध मे वह कार्श्वकलाप किए गए हों जिनके लिए कमीशन वहन किया जाता है और इस प्रकार का कमीशन उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता हो तो तब इस प्रकार का कमीशन उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है ।

6. जहां कमींगन ग्रदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच प्रथवा उन दोनों के और किसी ग्रन्थ व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, ग्रदा की गयी कमीशा की रकम, उस लेन-देन को ध्यान मे रखते हुए, जिसके लिए कमीशन की रकम ग्रदा की जाती है, उस रकम से बढ जाती है, जिमके लिए इस प्रकार का मंबंध नही होने की स्थिति मे, ग्रदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, बहां इस ग्रनुष्छेद के उपबन्ध के बीच सहमति हो गयी होती, बहां इस ग्रनुष्छेद के उपबन्ध के बीच सहमति हो गयी होती, बहां इस ग्रनुष्ठेद के उपबन्ध के बाच सहमति हो गयी होती, बहां इस ग्रनुष्ठेद के उपबन्ध के बाच सहमति हो गयी रकम का ग्रतिरिक्त भाग, इस ग्रभिसमय के ग्रन्य उप-बंधो का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानुनों के अनुसार कर लगने योग्य होगा ।

প্সনুচ্টৰ 14

रायल्टी और तकनीकी सेवाओ

के लिए फीस

 एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को ग्रदा की गयी रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायस्टी और तकनीकी मेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे 321 GI/88-2 उद्भून हुई हों, उस राज्य के कान्न के अनुसार कर लगाया जा सरोगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायरुटी अथवा तकनीकी मेवाओ के लिए फीम का हितभागी स्वामी है, सो इस प्रकार लगाया गया कर, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 22 5 प्रतिशत से अधिक नही हागा ।

3 इस अन्च्छेद मे यथा-प्रयुक्त "रायल्टी" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक इतियों के किमी भी कापीराटट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिसमे लिनेमा पिल्मे यथवा रेडिंगे अथवा दूरदर्शन प्रसारण मे प्रयुक्त होने वाली फिल्में अथवा टेप भी णामिल हैं, कोई पेटेट, व्यापारिक चिह्न, डिजाइन अथवा माङल, प्लान, गुप्त फार्म्नना अथवा प्रक्रिया धथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रथवा वैज्ञानिक उपकरणो के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिन्नेत है।

4 ध्म ग्रनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त ''तकनीकी सेवाओ के लिए फीम'' पद में प्रवच्धकीय, तकनीकी ग्रथवा परामर्शदावी स्वरूप की सेवाओं के लिए, जिनमे तकनीकी ग्रथवा प्रत्य कार्मिको की सेवाओं की व्यवस्था शामिल है, प्रतिफल के रूप मे, ग्रदायगिया करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्म-चारी को की गयी ग्रदायगी से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी कर्म-भी राणि की ग्रदायगियों से ग्रभिप्रेत है।

5 इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नही होंगे, यदि रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीम का हितभागी स्वामी, जो एक संविदा-कारी राज्य का निवासी है, और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिनमे रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहा पर स्थित स्थापी संस्थापन के माघ्यम से व्यापार चलाना है, अथवा वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा संनिदा के संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थाया नज्यवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संअधिन है । ऐसे मामलो में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपवन्ध, जैंसा भी मामला हो, तागू होगे ।

6 एक सविदाकारी राज्य में रायल्टी और तकनीकी सेवाओ के लिए फीम तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायल्टी और फीम श्रदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनैतिक उपमण्डल, कोई प्रणासनिक राज्यक्षेत्रीय एकक, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहा रायल्टी श्रथवा सकनीको सेवाओं के लिए फीस ब्रदा करने याते व्यक्तिका, चाहे वह संविदा-कारी राज्य का निवासी हो भ्रथवा नही, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन भ्रथवा कोई निश्चित _____

स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टी ग्रथवा गकनीकी सेवाओं के लिए फीस भ्रादा करने का बचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टी या तकनीकी मेवाओं के लिए फीस उम संस्थापन ग्रयवा निक्तिन स्थान हारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टी ग्रथवा तकनीकी मेवाओं के लिए फीस उस संविदा-कारी राज्य में उदमुत हई मानी जाएगी, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निषिचन स्थान स्थित है ।

7. जहां समाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच प्रथवा उन दोनों के बीच और किसी ग्रन्थ व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, रायस्टी ग्रथवा तकनीकी मेवाओं के लिए ग्रदा की गयी फीस की रकम उस रकम मे बढ जाती है जो इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में ग्रदा की गयी होती, तो वहां इस ग्रनच्छेद के उपबन्ध <mark>केवल अन्तिम व</mark>र्णित रकम पर ही लागु होगे । ऐसे मामले में, ग्रदा की गयी रकम के ग्रतिरिक्त भाग पर, इस ग्रभि-समय के धन्य उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संवि-दाकारी राज्य के कानूनों के प्रतमार कर लगाया जाएगा ।

ग्रनच्छेद 15

पुंजीगत प्रभिलाभ

1 अनुच्छेद 6 में यथाउल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण में एक मंविदा-कारी राज्य के नियासी धारा प्राप्त श्रभिलाभो पर दुसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के ग्रन्तरण से होने वाले ग्रभि-लाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन की व्यापारिक मम्पन्ति का एक हिस्सा है, अथवा किमी निश्चित स्थान मे संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के ग्रस्तरण में होने वाले श्रभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें एक स्थायी संस्थापन (धकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्वान के प्रन्तरण से होने वाले भ्रभिलाभ भी शामिल हैं, उम दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्रन्तर-त्ताध्दीय यातायात में चत्राए जाने वाले जलयानीं या वाय-यानों जैमी पुजीगत परिसम्पत्तियों से या ऐसे जलयानी अथवा बाययानो के चलाने में संबंधित चल सम्पत्ति से उद्भुत होने वाले ग्रभिलाभ केवल उम संविदांकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसमें उद्यम के कारगर प्रबन्ध का स्थान स्थित हो।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूजीगत स्टाक के शेयरों के भन्तरण से प्राप्त ग्रभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षत. **ग्रयवा अप्रत्यक्षतः प्रधानत[ः] एक संविदाकारी राज्य मे** स्थित ग्राणल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3, और 4, में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के ग्रन्तरण से प्राप्त श्रभिलाओं पर उसी सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्भा निवासी हो ।

ग्रनुच्छेद 16

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. ऐसे व्यष्टि द्वारा, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओ अथवा उसी स्वरूप के दूसरे स्वतंत्र कार्यकलापो के निष्पादन से प्राप्त ग्राय पर, निम्न-लिखित परिस्थितियों को छोडकर, जब ऐसी स्राय पर इसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कर लगाया जा मकेगा:

- (क) यदि उसे अपने कार्यकलापो के निष्पादन के प्रयोजनार्थ टूसरे सविदाकारी राज्य मेे एक निष्टित स्थान नियमित रूप मे उपलब्ध है, तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उननी ग्राय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निक्वित स्थान के कारण उदभत हई मानी जा सकनी है; अथवा
- (ख) यदि उसकी दुसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की ग्रवधि या ग्रवधियां किसी संगत "पूर्ववर्सी वर्ष" या "कैलेण्डर वर्ष" जैसी भी स्थिति हो, कूल 183 दिन ग्रथवा उससे ग्रधिक हो, तो ग्राय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य मे कर लगाया जा सकेगा जो दुसरे राज्य में निष्पादिन उसके कार्यकलापों में उसे प्राप्त होती हो ।

 "व्यावसायिक सेवाएं" शब्द में स्वतंत्र वैज्ञानिक, माहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक भ्रथवा श्रध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्मको, णल्य-चिकित्मकों, वकीलों, इंजी-नियरों, वास्तूविदो, दन्त-चिकित्सको तथा लेखाकारों **के** स्वतन्न कार्यकलाप शामिल है ।

अन्च्छेद 17

पराश्चित वैयक्तिक सेवाएं

 अन्च्छेद 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के उपबंधों के ब्राधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा मकेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य मे नही किया गया हो । यदि नियोजन इस प्रकार किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उससे प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. पौराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदा-कारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सविधाकारी राज्य में किए गए नियाजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर

केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ना सगत ''पूर्ववर्ती वर्ष'' या ''कैलेंडर वर्ष'' में, जैमा भी मामला हो, कुल मिलाकर 183 दिन में श्रनधिक की अवधि ग्रथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मॉजूद रहा हो; तथा
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक ढारा अथवा उसकी ओर से ब्रदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक, किसी ऐसे रथायी संस्थापन अथवा निण्चित स्थान ढारा वहन नही किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इम अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपवधो के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तरगष्ट्रीय यातायात में जलयानों प्रथवा हयाई जहाजो के परिचालन के संबंध में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिर्श्रामक पर कर उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुष्छेर 18

निदेशकों की फीस और उक्ष्व स्तरीय प्रबंधकीय ग्रिधिकारियों का पारिश्रमिक

 एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी ढारा किसी ऐसी कम्पनी के निवेशक मण्डल के सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त की गयी निदेशक की फीग तथा इसी प्रकार की प्रत्य ग्रदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवामी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी किमी कम्पनी के उच्च स्तरीय प्रबन्धकीय पद पर नियुक्त ग्रधिकारी की हॅसियत से प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा मकेगा।

अमुचछेच 19

कलाकार और खिलाड़ी

 अनुच्छेद 16 और 17 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी ढारा मनोरंजन-कर्ता के रूप में जैसे, कि थियेटर, चलचित, रेडियो अथवा धूरदर्शन कलाकार भथवा संगीतकार अथवा खिलाडी के रूप मे दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के भ्रापने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त श्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. जहा किसी मनोरंजनकर्ता श्रथवा खिलाड़ी द्वारा श्रपने वैयक्सिक कार्यकलापों के संबंध में श्रपनी इस प्रकार की हैसियत से प्राप्त द्याय स्वयं मनोरंजनकर्ता श्रथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी श्वन्य क्यक्ति को प्राप्त हो, तो ऐसे मामले में श्रनुच्छेद 7, 16 और 17 के उपबंधों के होते हुए भी, उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगेगा जिस राज्य में मनोरजनकर्ता प्राधवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, किमी अन्य संविदाकारी राज्य में इस प्रकार किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त श्राय पर उस स्थिति में केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उन कार्य-कलापो को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उन कार्य-कलापो को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियो स, जिसमें उमके राजनीतिक उप-प्रभागों में से कोई भी उप-प्रभाग, प्रशासनिक क्षेत्रीय एकक अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी गामिल है, पूर्णतः अथवा अंगत सहायता दी जाती है।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 16 और 17 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां मनोरंजनकर्ता अथवा खिसाड़ी बारा अपनी इस प्रकार की हैसियत से किसी संविदाकारी राज्य मे किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त न होकर, किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती हो, ऐसे मामले मे उस आय पर उस स्थिति में केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा, यदि उस अन्य व्यक्ति को दूसरे संविधाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से, जिसमें उसके राजनीतिक उप-प्रभागो में से कोई भी उप-प्रभाग, प्रशासनिक क्षेत्रीय एकक अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी णामिल है, पूर्णत. अथवा अंग्रत: सहायना दी जाती है।

अनुष्ठ**व** 20

मरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राज-नीतिक उप प्रभाग, प्रशासनिक केवीय एकक अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग, एकक अथवा प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में पेंशन से भिन्न अवा किए गए पारिश्रसिक पर कर केवल उस राज्य में ही लगेगा।

(ख) तथापि ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदा-कारी राज्य मे उस स्थिति में कर लग मकेगा; यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यप्टि उस राज्य का निवासी नही है, जो :

- (1) उस राज्य का राष्ट्रिक हो; ग्रयवा
- (2) सेवाएं श्रापित करने मान्न के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नही बना।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य को प्रयवा उसके किसी राजनीतिक उप प्रभाग, प्रसासनिक एकक श्रथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाबों के संबंध मे उस

[PART II-SEC. 3(i)]

राज्य ग्रथवा उप-प्रभाग, एकक ग्रथवा प्राधिकरण द्वारा श्रथवा उसके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यप्टि को श्रदा की गयी किसी भी पेशन पर केवल उस राज्य मे ही कर लगेगा।

(ख) तथापि, यदि व्यष्टि उस ग्रन्य राज्य का निवासी हो और राष्ट्रिक हो, तो केवल दूसरं संविदाकारी राज्य मे उस पेशन पर कर लगेगा।

3. श्रनुच्छेद 17, 18, और 19 के उपबंध किसी, संविदाकारी राज्य ध्रथवा उसके राजनीतिक उप-प्रभाग, किसी प्रशासन्तिक क्षेत्रीय एकक श्रथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भलाए जा रहे कारोबार के संबंध मे दी गयी सेवाओं के संबंध मे पारिश्रमिक और पेशनों पर लागू होगे।

अनुच्छेद 21

गैर सरकारी पेंशन और वार्षिकिया

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से अजित परन्तु अनुच्छेद 20 में उल्लिखित किसी पेंग्रन से भिन्न, किसी पेंग्रन अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में लगेगा।

2. "पेंगन" शध्य का अर्थ उस नियलकालिक भुगतान से है, जो विगत समय में की गयी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओ के निष्पादन के दौरान शारीरिक जोटों की क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया हो।

3. "वार्षिकी" झब्द का अर्थ उस उहिलखित राशि से हैं जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए भुगतान किए जाने हेतु किसी वार्थित्व के अधीन जीवन पर्यन्त अथवा किसी विनिधिष्ट या निश्चित समय विधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

अमुच्छेव 22

विशोषज्ञता प्राप्त करने के लिए भेजे गए विद्यार्थी और प्रशिक्षु

 कोई व्यष्टि, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की याता करने से तत्काल-पूर्व संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य का निषासी है या था और केवल इन कारणों से दूसरे संविदाकारी राज्य मे अस्थायी सौर पर मौजूद रहता है:---

- (क) उस दूसरे राज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय, महाविद्यालय, अथवा विद्यालय में एक छाम्न रूप में ; अथवा
- (ख) एक व्यापारिक प्रशिक्षुके रूप में; अथवा
- (ग) किसी धार्मिक, धर्मार्थ वैज्ञानिक अथवा शैक्षिक संगठन से अध्ययन के मूल प्रयोजनार्थ किसी

अनुदॉन, भक्ते अथवा पुरस्कार के प्राप्सकर्तां रूप में ।

उस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य मे उसके आगमन से छः वर्ष की अवधि तक उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्मलिखित के संबंध मे कर नही लगेगा:——

- (i) उसके भरण-पोषण, शिक्षा, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के खिए विदेश से प्राप्त धन-राणि;
- (ii) अनुवान भक्ता अथवा पुरस्कार ; और
- (iii) विदेश से प्राप्त कोई पारिश्रमिक ।

2. उपर्युक्त व्यष्टि बारा दूसरे संविदाकारी राज्य अपने भारण-पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए उस दूसरे राज्य में अपने आगमन से दो वर्ष की अवधि तक किसी रोजगार से प्राप्त आय पर यही छूट लागू होगी।

3. संविधाकारी राज्यों में से एक संविदाकारी के किसी ऐसे निवासी पर, जो उस दूसरे राज्य की सरकार अथवा किसी अधिकरण के साथ प्रबन्ध व्यवस्थाओं अथवा उनके किसी करार के अन्तर्गत केवल प्रशिक्षण, अध्ययन अथवा अनुस्थापना के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद हो, उसके द्वारा ऐसे प्रशिक्षण अथवा अध्ययन के लिए प्राप्त किए गए पारिश्वमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख ने दो वर्ष से अनधिक की अथधि के लिए कर नहीं लगेगा ।

4. पैराग्राफ । के प्रयोजनों के लिए "मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय," शब्दों का अर्थ है कोई ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यातय जो इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकरण बारा मान्यता-प्राप्त हो ।

अनुच्छेद 23

प्रध्यापक, अघ्यापक और अनुसंधिरसू

1, किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी यिंग्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यालय, अथवा अन्य अनुमोदित संस्था मे अध्यापन अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों प्रयोजनो के लिए उस दूसरे राज्य में जाने से तत्काल-पूर्व संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी हो अथवा था, इस प्रकार के अध्यापन अखवा गोध कार्य के लिए मिलने वाले किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में अपने आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी । 2. यह अनुच्छेद शोध-कार्यं से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होगा, यदि ऐसा शोध-कार्यं प्राथमिक रूप से किसी व्यक्ति -विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

______ ***** **

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 22 के प्रयोजनार्थ किसी व्यष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी होना उस स्थिति में समझा आएगा यदि वह "पिछले वर्ष" अथवा "कैलैण्डर वर्ष", जैसा भी मामला हो, में उस राज्य का निवासी हो जिस वर्ष से वह दूसरे संविदाकारी राज्य में बौरे पर जाता है अथवा तत्काल पूर्ववर्ती "पिछले वर्ष" अथवा "कैलेण्डर वर्ष" में दौरे पर जाता है।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ ''अनुमोदित संस्था'' का अर्थ एक ऐसी संस्था से है जिसे इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

अनुष्छेद 24

अन्य आय

1. किसी संविधाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें, जो जहां कहीं भी उद्भूत होंगी और जिनका उल्लेख इस अभिसमय के पूर्वाक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुबंध 6 के पैराग्राफ 2 में यया परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिक्त आय पर उस स्थिति में लागू नही होंगे, यदि एसी आय का प्राप्तकर्ता, किमी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेषाओं का निष्पादन करता है तथा जिस अधिकार या सम्पत्ति के संबंध में आय का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुष्छेद 16, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की उन मदों पर, जिन पर इस अभिसमय के पिछले अनुच्छेदों में विचार नही किया गया है और जो दूसरे मंबिदाकारी राज्य में उद्भूत होते हों, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

म्रनुष्छेर 25

दोहरे कराधान का परिहार

 दोनों संविदाकारी राज्यों में में किसी भी एक संविदा-कारी राज्य में लागू कानून संबंधित संविधाकारी राज्यों में झाय के कराधान के नियमन के लिए जारी रहेगें, सिवाय इसके कि जहां उक्त अभिसमय में निहित उपवंधो के विपरीत उपवंध बनाए जाते हैं।

2. भारत के किसी निवासी को रूमानिया में उद्भुपूत होने वाले ऐसे लाभों प्रथवा ग्राय के संबंध में, जिस पर भारत में तथा रूमानिया दोनों ही देशों में कर देना पड़ता है, रुमानिया के कानूनो के अधीन तथा इस म्रभिसमय के उपबंधों के ग्रनुसार प्रत्यक्षतः ग्रथवा कटौती के माध्यम मे संदेव रूमानिया कर की राशि को ऐमे लाभों श्रथवा आय के संबंध में संदेय भारतीयकर के प्रति जमा की आने वाली एक राणि के रूप में स्वीकार किया जाएगा, धशर्ते कि ऐसी जमा राशि उस भारतीय कर (इस प्रकार की कोई जमा राशि को स्वीकार किए जाने से पूर्व यथा-संगणित) से म्रधिक नहीं हो जो रुमानिया में उदभूत लाभों प्रथवा घाय के प्रनु-रूप हो। इसके अलावा, जहां ऐसा निवासी कोई कंपनी है जो भारत में अतिकर जमा करता है, ऐसे मामले में उपर्युक्त जमा राशि प्रथमतः कंपनी ढारा भारत में देय ग्रायकर के संदर्भ में मानी जाएगी और यदि कोई रकम झेप रहती हो तो उसके द्वारा भारत में देय श्रतिकर के संबर्भ में, जमा मानी जाएगी।

3. रुमानिया के किसी निवासी को भारत में उद्भूत होते वाले ऐसे लाभा अथवा ग्राय के संबंध मे, जिस पर भारत तथा रुमानिया बोनों ही देणां में कर देना पड़ता है, भारतीय कानूनों के अंतर्गत तथा इस अभिसमय के उपबंधो के ग्रनु-सार, चाहे प्रत्यक्षतः अथवा कटौनी के माध्यम से संदेय भारतीय कर की रक्म को ऐमे लामों अथवा श्राय के संबंध मे संदेय रुमानिया कर के प्रति जमा की जाने वाली एक राशि के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशतें कि ऐसी जमा-राशि उस रुमानिया कर (इस प्रकार की कोई जमा-राशि को स्वीकार किए जाने से पूर्व यथासंगणित) मे अधिक न हो, जो भारत में उद्भूत लाभो अथवा श्राय के अनुरूप हो ।

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए रुमानिया राज्य उद्यमों द्वारा राज्य बजट को झदा किए गए लाभांश रुमानिया कर कहलाएंगे।

4. पैराग्राफ 3 में उस्लिखित जमा के प्रयोजनार्थ "देथ भारतीय कर" शब्दों में ऐसी रकम को शामिल समझा जाएगा जो किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में संदेय थी परन्तु आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अंतर्गत प्रोस्साहन संबंधी विशेष उपायों के फारण उस वर्ष प्रथंवा उस वर्ष के भाग के लिए कर में छट अथवा कटौती के कारण, अदा नही की गई, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जाते है, प्रथवा जो THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत में श्राधिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा उपबंधो के संशोधन के लिए या उसके श्रलावा एतस्मिन परचात् लागू किए जा मकते हैं।

5. जहां इस भ्राभिसमय के अंतर्गत किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य मे प्राप्त भाय के सबंध में उस संविदाकारी राज्य मे कर से छूट प्राप्त हो, तब ऐसे मामले में प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य उस व्यक्ति की शेप धाय पर कर की संगणना करने में कर की वही दर लागू कर सकता है जो इस भ्रभि-समय के भनुसार कर से छूट दी गई श्राय को छूट न दिए जाने की स्थिति मे लागू होती।

म्रानुच्छेद 26

सम-व्यवहार

(1) किसी संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे मंविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था ग्रथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नही होगी, जो उस कराधान से और उन सबधित अपेक्षाओ में भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में और भर्नों पर लागू होती हैं अथवा हो सकती है।

(2) किसी सविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदा-कारी राज्य में किसी स्थायो संस्थापन पर ऐसा कराधान लागू नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के बैसे ही कार्य-कलापों मे उन्हीं परिस्थितियो में और उन्हीं शतों के अंतर्गत प्रवृत्त उद्यमों पर लागू होने बाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकुल हों।

(3) इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नही लगाया जाएगा कि उसने किसी संविवाकारी राज्य को, उस राज्य के अनिवामी ध्यक्तियों को, कराधान के प्रयो-जनों के लिए किमी प्रकार की वे बैयक्तिक छूटे, राहतें, घटौतिया तथा कटौतिया प्रवान करने का अधिकार प्राप्त होता है जो कानून के तहन उस राज्य के केषल निवासी ब्यक्तियो को ही उपलब्ध है।

4. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंगतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षत. अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियतण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान प्रयवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान और तत्मंबंधी अपेक्षाओ से किन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैंसे ही उद्यमों पर वैसी ही परिस्थितियों में और शतौ पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

(5) इस अनुज्छेद से "कराधान" शब्द का ग्रर्थ है वे कर, जो इस अभिममय के विषय है।

भनुष्छेद 27 पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहा किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक भ्राथवा दोनो संविदाकारी राज्यो के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है श्रयवा लगाया जाएगा, वह इस भ्रभिसमय के अनुरूप नही है, तो वह उन राज्या के राष्ट्रीय कानूनो द्वारा उपबंधित उपचारो के होने हुए भी, ग्रपना मामला उस सविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधि-कारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह निवासी है। यह मामला, उस कार्य के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्य के भीतर ग्रवश्य प्रस्तुन किया जाना चाहिए जिसके कारण इस श्रभिसमय के प्रतिकुल कराधान हुआ है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को ग्रापत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में ग्रसमर्थ हो तो वह कराधान के धरिहार को मद्देनजर रखते हुए, जो ग्रभिसमय के ग्रनुरूप नही है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। जो भी करार हां गया हो वह संविदाकारी राज्य के राष्ट्रीय कानूनों में निहित किमी सीमा के होने के बावजुद भी कार्यान्वित होगा।

3 श्रभिसमय के अर्थान्वयन में प्रथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइया प्रथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यो के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेगे। वे ऎसे मामलों में दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर परामर्श कर मकेगे जिनकी व्यवस्था ग्रभिसमय में नहीं की गई है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफो के ग्रभिप्राय के अंतगंत सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते है। जहां कोई करार करन हेतु विचारों का मौखिक श्रादान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो वहा ऐसा ग्रादान-प्रदान एक श्रायोग के जरिए किया जा सकता है जिसमे संविदाकारी राज्यो के सक्ष्म प्राधिकारियो के प्रतिनिधि हों।

श्रनुच्छेद 28

सूचना का म्रादान-प्रदान

1 संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी प्रभिसमय के उपबंधों को प्रथवा अभिसमय में गामिल करो से संबंधित संविदाकारी राज्यों के देशीय कानूनों के उपबंधों को कार्या-क्विन करने के लिए, जहां तक उनके अतर्गत कराधान प्रभि-समय के प्रतिकूल न हो, विशेष रूप से ऐसे करा की धोखाधड़ी प्रथवा उनके अपवंचन को रोकने के लिए, प्रावश्यक ऐमी सूचना (दस्तावेजो महित) का श्रादान-प्रदान करेगे। किसी संविदा-कारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त रखी जाएगी जैसे कि उस राज्य के देशीय कानूनो के अंतर्गत रखी जाती है। तथापि, यदि भेजने वाले देश मे सूचना को मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो वह केवल उन व्यक्तियों -----

प्रयवा प्राधिकारियो (ग्रदालतों और प्रशामनिक निकायों सहित) को प्रकट की जाएगी, जो करो, जो ग्रभिममय के विषय है, के निर्धारण, उनकी वसूली, प्रवर्तन अथवा प्रभियोजन की कार्यवाही अथवा उनसे संबंधित अपीलो के निर्धारण के कार्यों में संलग्न है। ऐसे व्यक्ति ग्रथवा प्राधिकारी केवल इन्ही प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे परन्तु ग्रदालसी कार्रवाई ग्रथवा न्यायिक निर्णयों में इस सूचना को सार्वजनिक वना सकते है। सक्षम प्राधिकारी कर-अपवंचन से संबंधिन सूचना के श्रादान-प्रदान सहित, जहां पर ऐसा करना उपयुक्त हो, उन मामलों से संवधित उपयुक्त शर्नें, तरीके और तकनीक भी परामर्श के माध्यम से विकसित करेंगे जिनकी सूचना का विनिमय किया जाना है।

2 सूचना ग्रथवा दस्तावेजो का ग्रादान-प्रदान या तो नेमी तौर पर ग्रथवा किसी मामले विशेष के सन्दर्भ में अनुरोध के ग्राधार पर ग्रथवा दोनों तरह में किया जायगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी नेमी ग्राधार पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना ग्रथवा दस्नावेजो की सूची पर समय-समय पर ग्रपनी सहमति व्यक्त करेगे।

3 पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का किसी भी हालत में यह प्रर्थ नहीं होगा कि किसी संविदाकारी राज्य को निम्न-लिखित कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए '---

- (क) उस संविदाकारी राज्य ग्रथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों ग्रथवा प्रशासनिक परिपाटी से हट कर कोई प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना श्रथवा दस्तावेज सप्लाई करना जो उस संविदाकारी राज्य श्रथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानुनों के अन्तर्गन श्रथवा सामान्य प्रणामनिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नही हो सकते;
- (ग) कोई ऐसी सूचना ग्रथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिसमे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक ग्रथवा वृत्तिक भेद प्रकट हो जाए ग्रथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया या सूचना सप्लाई करना, जिसका प्रकट किया जाना सार्वजनिक नीति के विरूद्ध हो ।

ग्रन्च्छेद 29

कर-वसूली में सहयोग

1 मंबिदाकारी राज्य इस म्रभिसमय से मंबंधित करों की वसूली में उन मामलो मे एक-दूमरे राज्य की मदद करने और ममर्थन देने का जिम्मा लेते हैं, जहां म्रनुरोधकर्ता राज्य के कानुमों के म्रनुसार, कर निश्चित रूप मे देय हैं।

2. वसूली के प्रवर्तन के किसी प्रनुरोध के मामले में किसी भी सविदाकारी राज्य के कर संबंधी दावों को. जिनका ग्रन्तिम रूप से पता लगाया जा चुका है. उस दूसरे संविदा-कारी राज्य द्वारा प्रवर्तन के लिए स्वीकार किया जाएगा जिससे ग्रनुरोध किया गया है; और उनकी वसूली उस राज्य के करों के प्रवर्तन और उनकी वसूली हेसू लाग कानूनों के श्रनुसार की जाएगी ।

3. भारतीय कर के मामले मे, झनुरोध-पत्न को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंद्रालय द्वारा रुमानिया समाजवादी गणराज्य के पास भेजा जाएगा, बौर उसके साथ वह प्रमाण-पत्न संलग्न होगा जैसा कि भारत के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए श्रपेक्षित है कि करों का झन्तिम रूप मे निर्धारण कर लिया गया है और करदाता द्वारा देय है ।

4. रूमानिया कर के मामले में, अनुरोध पत्न को रुमा-निया समाजवादी गणराज्य के वित्त मंद्रालय ढारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग के पास भेजा जाएगा और उसके साथ ऐसा प्रमाणपत्न संलग्न होगा जैसा कि रुमा-निया के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करो का अन्तिम रूप मे निर्धारण कर लिया गया है और करदाता ढारा देय है।

5. जहां कर संबंधी दाये का उस संबंध मे अपील किए जाने अथवा किसी अन्य कारण से प्रस्तिम रूप से निर्धारण नही हुआ हो, वहां एक संविदाकारी राज्य, अपने राजस्व को बचाने के लिए, दूसरे संविदाकारी राज्य मे उसके बारे में ऐसे अन्तरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उस बूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के मन्तर्गत वैध हैं।

6. किसी करदाता से प्राप्तव्य करों की वसूली में सहायता के लिए अनुरोध पत्न तभी पेण किया जाएगा जब अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस करदाता से कर वसूल करने के लिए उसकी पर्याप्त परिसम्पत्ति उपलब्ध न हो ।

7. जिस संविदाकारी राज्य में इस मनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 5 के मनुसरण में कर वसूल किया जाता है, वह राज्य इस प्रकार वसूल की गयी रकम को तत्पश्चात तुरन्त दूसरे संविदाकारी राज्य को भेजेगा, जिसने म्रनुरोध किया था, परन्तु ऐसे कर की वसूली में सहायता किए जाने के दौरान जो आवश्यक लागत म्राई है उसे वापिस पाने का हकदार होगा ।

ग्रनुच्छेद 30

राजनयिक और कौंसली कार्यकलाप

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य तियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत राजनयिक अथवा कौंसली अधि-कारियों के विसीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अनुच्छेद ३।

ग्रभिसमय कर प्रवर्तन

 इस अभिसमय का अनुसंमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन संबंधी धस्तावेजों का ग्रादान प्रदान अखुबारेस्ट में किया जायगा।

2. यह ग्रभिसमय, श्रनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों का स्रादान प्रदान होने पर लागू होगा और इसके उपबंध निम्नलिखित पर प्रभावी होंगे '---

- (क) भारत में, जिस केलेण्डर वर्ष में ग्रनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजो का आदान-प्रदान किया जाता है, उस वर्ष के प्रगले पग्यर्ती वर्ष के प्रप्रैल माह के प्रथम दिन को ग्रथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले पिछले वर्ष में उद्भूत होने वाली ग्राय के संबध में;
- (ख) रुमानिया में, जिस केलेण्डर वर्ष में झनुसमर्थन पंबंधी दम्तावेजों का प्रादान प्रदान किया जाता है, उम वर्ष के प्रगले परवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले पिछले वर्ष में उद्भूत होने वाली स्राय के संबंध में ।

3 ग्रन्तर्राष्ट्रीय यातायान में वायुयान और जहाजों के मचालन करने वाले उद्यमों नी ग्राथ के दोहरे कराधान के परिहार के लिए 25 सितम्बर, 1968 को हुन्ना विद्यमान करार इस अभिसमय के लागू होने पर समाण्त हो जाणगा।

श्रनुच्छेद्र 32

पर्यवसान

यह अभिसमय प्रनिषिचत काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में मे कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख मे पाच वर्षों की अवधि के ममाप्त होने के बाद से शुरु होने वाले किसी भी केलैण्डर वर्ष में जून के तीसवें दिन को या उससे पहले, राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को, अभिसमय के पर्यवसान का लिखित नोटिम दे सकेगा और ऐसी स्थिति में इम प्रभिसमय का निम्नलिखित पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा :----

(क) भारत में, जिम केलेण्डर वर्ष में नोटिम दिया जाता है, उसके प्रगले परवर्सी वर्ष में ध्रप्रैल मास के प्रथम दिन को प्रथवा उसके बाद गुरू होने वाले किसी पिछले वर्ष में उद्भूत ग्राय के संबंध में; (ख) रुमानिया में, जिस केलेण्डर वर्ष मे पर्यवसान का नोटिस दिया जाता है उसके ब्रगले परवर्ती वर्ष मे जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरु होने वाले किसी केलेण्डर वर्ष में उद्भूत होने वाली श्राय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत प्राधिक्वत अधो-हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस भ्रभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ नौ सत्तासी के मार्च माह के दमवें दिन कौ, हिस्दी एमानिया और अंग्रेजी भाषाओ में दो दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया। इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। इन पाठों में से किसी के बीच भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

(ह. ब्रह्म दत्त) (ह. डिमिट्री अल्कूटा) भारत गणराज्य की सरकार रुमानिया समाजवादी गणराज्य की ओर से की सरकार की ओर से

[फा. सं. 501/4/76---एफ टी टी]

पी. के. प्रप्पचू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 8th February, 1988

NOTIFICATION NO. 7754

INCOME TAX

G.S.R. 80(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Socialist Republic of Romania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 14th November, 1987 on the exchange of the Instruments of Ratification by both the contracting States, as required by paragraph 1 of Article 31 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India. Ξ

-.....

ANNEXURE

_ _ _

CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST OF REPUBLIC OF ROMANIA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Socialist Republic of Romania desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and to promote and strengthen the economic relations between the two countries on the basis of equality in rights and reciprocal advantage.

Have Agreed as Follows :

Article 1

PFRSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Convention shall apply are :

- (a) In the case of India .
 - (1) Income-tax and any surcharge thereon; and
 - (2) Sur-tax;

(hereinafter referred to as 'Indian tax").

- (b) in the case of Romania :
 - (1) the tax on incomes derived by individuals and corporate bodies;
 - (2) the tax on the profits of joint companies constituted with the participation of some Romanian economic organisations and some foreign partners; and
 - (3) the tax on income realised from agricul tural activities;
- (hereinafter referred to as "Romanian tax"), 3°1 GU/88-3

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1.

3. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which are made in their respective taxation laws which are the subject of this Convention and furnish copies of relevant enactments and regulations.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in secordance with international law;
- (b) the term "Romania" used in a geographical sense, means the territory of the Socialist Republic of Romania including the territorial sea and the continental shelf as well as any other area beyond the territorial waters o^{μ} Romania where Romania exercises sovereign rights, in accordance with the international law and with its own law concerning the exploration and exploitation of the natural, biological and mineral resources existing in the sea, waters, seabed and subsoil of these waters;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Romania as the context requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Romanian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (e) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws in force in the respective Contracting States:
- (f) the term "company" means any body corporate, including a joint company which is incorporated under the Romanian law or any entity which is treated as a company under the taxation laws of the respective Contracting States;

- -==

- (g) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an entorprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative, and in the case of Romania the Ministry of Finance or its authorised representative;
- (i) the term "national" means :
 - --- in the case of India, any individual possessing the nationality of India and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in India;
 - in tt case of Romania, any individual possessing the citizenship of Romania and any legal person, partnership or asociation deriving its status from the laws in force in Romania;
 - (j) the term "a political subdivision" means a political subdivision in India;
 - (k) the term "an administrative territorial unit" means an administrative territorial unit in Romania;
 - the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State. except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Convention by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the nurposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who is a resident of that State in accordance with the taxation laws of that State.

2. Where by reason of the provision of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States then his residential status for the purposes of this Convention shall be determined in accordance with the following rules :---

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he

- (b) If the Contracting States in which he has his centre of vital interests cannot be determined or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory:
- (e) a workshop;
- (f) a mine, in oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
 - (i) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders:

- 277

(j) an installation or structure used for the exploration of natural resources;

- --

(k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity (together with other such sites, projects or activities, if any) continues for a period of more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery or equipment.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be det med act to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or metchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information for the enterprise;
- (e))the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise;
- (f) the selling of goods or merchandise belonging to the emerprise displayed in an occasional temporary fair or exhibition in the process of closing down of such fair or exhibition;
- (g) project or supervisory activity, being incidental to sale of machinery or equipment, carried on by an enterprise other than the seller of machinery or equipment and not continuing for a period exceeding six months.

However, the provisions of sub-paragraphs(a) to (g) shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said sub-paragraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person –other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies–15 acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, it :

_---

- ----

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or marchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control as, that enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carried on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control as, that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carried on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed only in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term 'immovable property' shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oilwells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

_ -

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on ousiness in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in neturn for the use of patents, know how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fee₅ or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices,

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary,

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall alo apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passsengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the scale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise, of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1. such profits may also be taxed in the other Contracting State if the shipping activities connected

with the operation of ships in international traffic are carried on in that other State, but the tax so charged shall no exceed 2.50 per cent of the gross amount payable in respect of operation of ships in that other State.

3. The provisions of garagraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of ships.

4. For the purposes of this Article, the gross amount payable in respect of operation of ships in a Contracting State shall mean the aggregate of the following amounts, namely :

- (a) the gros, amount payable on account of carriage of pass ngers, livestock, mail or goods s'hipped at a port or pors in that Contracting State:
- (b) interest arising in that Contracting State on funds councited with the operation of ships in international traffic; and
- (c) the gross abound payable in that State on account of the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment of the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in intertional traffic.

The provisions of Article 12 shall not apply in relation to interest referred to in (b) above.

5. In determining the income of an enterprise of a Contracting State for the purposes of taxation in the other Contracting State, no deduction shall be allowed in respect of any loss or depreciation allowance admissible to that enterprise for any earlier "previous year" or "calendar year", as the case may be.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

- Where
 - (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
 - (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in other case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between, independent enterprises, then only profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by resson of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1 Dividends paid by a company which is resiident of a Contracting State to a resident of the other Contracting. State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting Satte of which the company prying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 20 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term 'dividends' as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. In this conext, the profits distributed by Romanian Joint Companies to the capital subscribers are assimilated to dividends.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, trough a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent esablishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income trom the other Contracting State, that other State may no impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profit or income uniting in such other State

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such increst may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, ~

- (a) interest ausing in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by .
 - (1) the Government, a political sub-division, an administrative territorial unit. or a local authority of the other Contracting State; or
 - (ii) the Central Bank of the other Contracting State;
- (b) interest arising m a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is beneficially owned by a resident of the other Contracing State and is derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :
 - (i) in the case of Socialist Republic of Romania, BANCA ROMANA DE COMERT EXTERIOR to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;
- (ii) in the case of India, the Export-Import Bank of India (Exim Bank), to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only,
- (iii) any institution of a Contracting State in charge of public financing of external trade;
- (iv) any other person provided that the loan or credit is approved by the Government of the first-mentioned Contracting State:

4. The term "interest" as used in this Atticle means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall _ not apply if the beneficial owner of the interest, being a re-ident of a Contracting State, carries on business in the other Conracting State in which the interest arises, through a permanent establis ment situated therein, or performs in that of er State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the inerest is paid is effectively connect d with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contacting State itself a political sub-division, an administrative territorial unit, a local authority or a resident of that State Where, however, the person paying the intraest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, thin such interest shall be deemed to arise in the contracting State in which the permanent establi hment or fixed base is situated.

7. Where, by reason a special relationship b tween the payer and the beneficial owner or butween both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debtclaim for which it is paid, exceeds the amont which would have been agreed upon by the paver and the beneficial owner in the absence of such s relationship, the provisions of this Article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

COMMISSION

1. Commission arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2 However, such commission may be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the amount of the commission. The competent authorities oF the Contracting States shall be mutual agreement s ttle the mode of application of this limitation

3. The term "commission" as used in this Arti le means a payment made to a broker, a general commission agent or to any other person ascimilated to such a broker or agent by the transition law of the Contracting State in which such payment arises

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the commission, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the commission arises a permanent establishment with which the activity giving rise to the commission is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Commission shall be deemed to arise in 2 Contracting State when the payer is that State political sub-division, an administrative ifself. a territorial unit, a local authority or a resident of that State Where, however the person paying the commission, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the activities for which the payment is made was incurred, and such commission is bound by such permanent establishment, when such commission shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where by reason of a special relationship between the payer and the receiptent or between both of them and some other person, the amount of the commission, having regard to the transaction for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention

Article 14

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services augments in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

2. However, such royalties and fees for technical service, may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fess for technical services, the tax so charged shall not exceed 22.5 per cent of the gross amount of the royalties or fess for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use. any copyright of ilte aiv, artistic or scientific work, including cinemategraph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the u e of or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. 4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, on performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, propert or contract in respeet of which the royalties or lees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

6 Regalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, an administrative territorial unit, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceed the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the 'ast-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being to the other provisions of this Convention.

Article 15

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alignation of immoval le property reforred to in Article 6 and suated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alignation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services. including such gams

_ _

from the alienation of such a permanent establishment (along or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains arising from a capital asset being ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated

4. Gains from the alieuation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident

Article 16

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "calednar year", as the case may be, in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2 The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, howers engineers, architects, dentists and accountants.

Article 17

DFPFNDLNT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 18, 19, 20, 21, 22 and 23 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable on's in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, 1 muneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "calendar year', as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is nto borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State

Article 18

DIRECTORS' FEES AND REMUNERATION OF TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Directors fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuncration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in \cdot top-let el managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be traced in that other State.

Article 19

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 16 and 17, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a thealte, motion picture, radio or television artiste of a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal aptivities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 16 and 17, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an atl lete who is a resident of a Contracting State from his personal

activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions, administrative territorial units or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 16 and 17, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions, administrative territorial units or local authorities.

Article 20

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a person, paid by a Contracting State, a political sub-division, an administrative territorial unit or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, sub-division, unit or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State selely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State, a political sub-division an administrive territorial unit or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, sub-division, unit or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 17, 18 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, a political sub-division, an administrative territorial unit or a local authority thereof.

Article 21

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 20 or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other 321 GI/88-4 Contracting State may be taxed only in the firstmentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 22

STUDENTS, APPRENTICES AND PERSONS SENT FOR SPECIALISATION

1. An individual who is or was resident of one of the other Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State solely :

- (a) as a student at a recognised university, college or school in that other State; or
- (b) as a business apprentice; or
- (c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study from a religious, charitable, scientific, or educational organisation;

shall be exempt from tax in that other State for a period of six years from his arrival in that other Contracting State in respect of—

- (i) the remittance from abroad for the purposes of his maintenance, education, study or training;
- (ii) the grant, allowance or award and
- (iii) any remuneration from abroad.

2. The same exemption shall apply to income derived by the above-mentioned individual from an employment which he exercises in the other Contracting State in order to supplement his means for maintenance, education, training and other expenses for specialisation, for a period limited to two years from his arrival in that other State.

3. A resident of one of the Contracting States present in the other Contracting State under arrangements with the Government of that other State or any agency or instrumentality thereof solely for the purpose of training, study or orientation shall be exempt from tax for a period not exceeding two years from his arrival in that other Cntracting State in respect of remuneration received by him on account of such training or study.

4. For the purposes of paragraph 1, the term "recognised university, college or school" means a university, college or school which has been recognised in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 23

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other. State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 22, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "calendar year", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "calendar year".

4. For the purposes of paragraph 1. "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 24

OTHER INCOME

I. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply,

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, and arising in the other Contracting State may also be taked in that other State.

Article 25

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in the Convention.

2. The amount of Romanian tax payable, under the laws of Romania and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of profits or income arising in Romania, which has been subjected to tax both in India and in Romania, shall be allowed as a credit against Indian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in Romania. Further; where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payabl- by the company in India and as to the balance, if any, against surfax payable by it in India.

3. The amount of Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Romania, in respect of profits or income arising in India, which has been subjected to tax both in India and in Romania, shall be allowed as a credit against Romanian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed Romanian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in India.

For the purposes of this paragraph, profits paid by the Romanian State enterprises to the State budget shall be deemed to be Romanian tax.

4. For the purposes of the credit referred to in paragraph 3, the term "Indian tax payable" shall be dremed to include any amount which would have been payable as Indian tax for any assessment year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof by the special incentive measures under the provisions of the Incometax, 1961 (43 of 1961), which are designed to promote economic development, or which may be introduced hereafter in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting economic development in India.

5. Where under this Convention a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Convention had not been so exempted.

Article 26

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation, and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to percons not residents in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprices of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5 In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection, the enforcement of prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

[PART II-SEC. $3(\overline{i})$]

- - - - - - -

2. The exchange of information or documents shall be either on routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that o of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 29

ASSISTANCE IN COLLECTION

1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Convention relates, in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the State making the request.

2. In the case of a request for enforcement of collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its taxes.

3. In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Departmen⁺ of Revenue, to the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Romania and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

4. In the case of Romanian tax, the request will be sent by the Ministry of Finance of the Sosialist Republic of Romania to the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, in India and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of Romania to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

5. Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal o_r any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.

6. A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

7. The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs 1, 2 and 5 of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request but it shall be entitled to reimbursement of any reasonable costs incurred in the course of tendering assistance in the recovery of such tax.

Article 30

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Convention shall affect the fiscal orivileges and diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 31

ENTRY INTO FORCE

1 This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Bucharest,

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provision shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the instruments of ratification are exchanged;
- (b) in Romania, in respect of income arising in any calendar year beginning on or after the first day of January next following the
 calendar year in which the instruments of ratification are exchanged.

3 The existing Agreement for the avoidance of double taxation of income of enterprises operating aircraft and ships in international traffic dated the 25th September, 1968 shall cease to have effect upon the entry into force of this Convention.

Article 32

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirteeth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years mfro the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect :

(a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given; (b) in Romania, in respect of income arising any calendar year beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at New Delhi this 10th day of March one thousand nine hundred and eighty seven in the Hindi, Romanian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence amongst the three texts, the English text shall be the operative one.

Sd]- Brahm Dutt For the Government of the Republic of India

> Sd]- Dimitrie Ancuta For the Government of the Socialist Republic of Romania. [F. No. 501|4|76-FTD] P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

321 GI/88--5